<u>अधिसूचना</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक–22 सन् 2005) की 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदृद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती हैं,
अर्थात् :–

<u>नियम</u>

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेष सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 है।

   (2) ये नियम मध्यप्रदेष राजपत्र में उनके प्रकाषन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

.2. परिभाषायें:– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (क) '' अधिनियम'' – से अभिप्रेत हैं सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (क्रमांक –22 सन् 2005)

   (ख) ''गरीबी रेखा के नीचे'' से तात्पर्य हैं कि मध्यप्रदेष राज्य के वह नागरिक जिन्हें मध्यप्रदेष शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घेाषित किया गया हो :

   (ग) ''लागत'' से अभिप्रेत है कि अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (एफ) में यथापरिभाषित सूचना को प्रदान करने के लिये देय लागत :

   (घ) ''फीस'' से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत देय फीसः

   (ड) ''प्रारूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूपः

   (च) ''धारा'' से अभिप्रेत हैं अधिनियम की धाराः

   (छ) इन नियमो में प्रयुक्त शब्द जो परिभाषित नहीं किए गए हैं उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किए गए हैं ।

अध्याय–2
फीस

3 (1) अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है दस रूपए के नान ज्यूडिषियल स्टाम्प के साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा यदि आवेदन डाक द्वारा प्रेषित किया जाता हैं तो आवेदक दस रूपए के नान ज्यूडिषियल स्टाम्प संलग्न करेगा।

(2) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु की छपाई खर्चे या मीडियम या वास्तविक मूल्य जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाए नगद या नान ज्यूडिषियल स्टाम्प के रूप में आवेदक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करेगा। आवेदक द्वारा यदि राषि नगद जमा की जाती हैं तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या उनके द्वारा निर्देषित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद प्रदाय की जाएगी। ऐसी जमा की गई राषि कोषालय में चालान द्वारा जमा की जाएगी ।

4. धारा 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, यथा स्थिति संबंधित राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दस रूपये के नान ज्यूडिषियल स्टाम्प या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5. (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत जहॉ सूचना की पहॅुच छपे हुए (मुद्रित) या किसी इलेक्ट्रानिक रूप /फार्मेट में उपलब्ध कराई जाना है तो ऐसी सूचना का वास्तविक लागत जैसा की यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, नगद या नान ज्यूडिषियल स्टाम्प के रूप में ऐसे आवेदक द्वारा जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा निर्देषित किया जाए, निर्देष देने के तीन दिवस के अंदर जमा करेगा।

(2) यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षक करना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी इस प्रयोजन के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को नियत करेगा तथा इस प्रयोजन हेतु प्रथम घण्टे अथवा उससे कम समय के लिए रू0 50/– (रूपये पचास) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उससे कम समय के लिए रू. 25/– (रूपये पच्चीस) के मान से शुल्क नगद या नान ज्यूडिषियल स्टाम्प के रूप में आवेदक, जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, भुगतान करेगा।

(3) यदि आवेदक किसी सामग्री का प्रमाणिक नमूना लेना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस नमूने की निर्धारित लागत आवेदक ऐसे अधिकारी को, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा निर्देषित किया जाए, नगद या नान ज्यूडिषियल स्टाम्प के रूप से जमा करेगा।

(4) जहॉ ऐसी सूचना का भण्डारण कम्प्यूटर में किया गया हैं तो ऐसी सूचना के डिस्केट्स या फ्लापी या टेप या वीडियो या केसेट की वास्तविक लागत जैसा कि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, आवेदक द्वारा या नान ज्यूडिषियल स्टाम्प के रूप में जमा करेगा।

अध्याय–3

वेतन तथा सेवा शर्तें

6. अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (6) के अंतर्गत पदस्थ किए गए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वही वेतन तथा भत्ते देय होंगे जैसा कि वे पदस्थ होने के पूर्व से प्राप्त कर रहे थे तथा उनकी सेवाओं के लिए वही नियम लागू होंगे जो उनको पदस्थ होने के पूर्व लागू थे ।

अध्याय–4

अपील

7. (1) प्रथम अपील– यदि कोई व्यक्ति धारा –7 की उप–धारा (1) अथवा उप–धारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिष्चय प्राप्त नहीं करता हैं या प्राप्त नहीं होता है अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिष्चय से व्यथित है, वह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिष्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो को अपील, अपील के ज्ञापन के साथ 50/– (पचास रूपए) के शुल्क या नान ज्यूडिषियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा ।

परंतु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पष्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, सूचना के आधार की विषय वस्तु, सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेषों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अंतर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसे विस्तारित कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालीस दिवस से अधिक नहीं हो यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी ।

(4) अपील में पारित आदेष की प्रति निःशुल्क अपीलार्थी को प्रदाय की जाएगी।

8 (1) <u>द्वितीय अपील –</u> नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन विनिष्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को इस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिष्चय पारित हो गया होना चाहिए अथवा उस तारीख से जब विनिष्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है ।

परंतु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के बीतने के पष्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है।

(2) राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ रूपये 100/– (रूपए सौ) की फीस नगद या नान ज्यूडिषियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा ।

(3) राज्य सूचना आयोग द्वारा यथास्थिति लोक प्राधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पष्चात् अपील प्रस्तुत होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा।

(4) राज्य सूचना आयोग का विनिष्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(5) राज्य सूचना आयोग के विनिष्चय की प्रति अपीलार्थी को निःषुल्क प्रदाय की जाएगी परंतु यदि अपीलार्थी आदेष की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीन दिवस के अंदर भेजी जाएगी ।

9. नियम 7 एवं 8 के अंतर्गत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं से प्रभारित नहीं की जायेगी ।

मध्य–प्रदेष के राज्यपाल के नाम से तथा आदेषानुसार,